

सेवा में,

पुलिस उप महानिरीक्षक,
पीएसी मुख्यालय,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- सीधी भर्ती के अन्तर्गत प्लाटून कमाण्डर पीएसी हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

ज्ञातव्य है कि प्लाटून कमाण्डर पीएसी के पद पर सीधी भर्ती वर्ष 2011 के अन्तर्गत चयनित 01 अभ्यर्थी को प्लाटून कमाण्डर का आधारभूत कोर्स दिनांक 20.03.2018 से सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में प्रारम्भ होगा, जिसके लिये अभ्यर्थी को 02 दिवस के अन्दर प्रशिक्षण संस्थान में आगमन कराना होगा।

2. निदेशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त 01 अभ्यर्थी का विवरण एवं संलग्न सूचनाएं उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर पीएसी फोल्डर के अन्तर्गत सर्कुलर फोल्डर में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

9/c Server
कृ. मो. का. जे. जे.

2

पुलिस उपमहानिरीक्षक
पी.ए.सी. मुख्यालय उ०प्र०
लखनऊ 28/3

2018

(जय प्रकाश सिंह)

अपर पुलिस अधीक्षक,
कृते पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

सीधी भर्ती-2011 के अन्तर्गत चयनित प्लाटून कमाण्डर का विवरण, जिन्हें दिनांक 20.03.2018 से ए0पी0टी0सी0 सीतापुर में प्रचलित प्रशिक्षण में 02 दिवस के अन्दर ए0पी0टी0सी0 सीतापुर में आगमन कराने हेतु बुलावा पत्र भेजा गया है।

S no.	Roll Number	Name of the Selected Candidate	Father Name	HOMEDISTRICT
1	480091040	shyam murari chaurasiya	shri shriram chaurasiya	Sultanpur

परिशिष्ट "क"

पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या: प्रनि-प-82-2014(एसआई सीधीभर्ती) दिनांक 18-10-2015 के माध्यम से प्राप्त निर्देश।

- (1) प्रशिक्षण केंद्र में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ/ शराब का सेवन वर्जित होगा।
- (2) पान व पान मसाला व गुटखा खाकर क्लास रूम में नहीं जायेंगे तथा हास्टल की दीवारों को गन्दा नहीं करेंगे। अनुशासित ढंग से रहेंगे। अनुशासनहीनता का कोई भी प्रकरण सामने आने पर एस कर्मी को तत्काल प्रशिक्षण केंद्र से वापस कर दिया जायेगा।
- (3) फरेड ग्राउण्ड व क्लास रूम में मोबाइल लेकर नहीं जायेंगे। अपना मोबाइल हास्टल में रखेंगे।
- (4) प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों के आदेशों का पालन करेंगे।
- (5) प्रशिक्षण में जाते समय मौसम के अनुसार कपड़े, बिस्तर एवं मच्छरदानी आदि लेकर अवश्य जायें।
- (6) प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण से सम्बन्धित वर्दी तथा प्रशिक्षण सामग्री कय हेतु पर्याप्त मात्र में धनराशि तथा मेस एण्डवान्स के लिये पर्याप्त धनराशि लेकर जायेंगे।

प्रशिक्षण संस्थान में खल, साज-सज्जा तथा अन्य ब्ययों तथा वृत्ति(स्टाईपेण्ड) को प्रशिक्षण काल में दिया जाएगा, के सम्बन्ध में विद्यार्थी (कैंडेट) के माता पिता, संरक्षक या मित्र (प्रतिभू) के हस्ताक्षर हेतु बन्ध पत्र।
 प्रतिभू चूँकि मैं.....आत्मज.....का
 नाम जिला.....का निवासी हूँ और चूँकि पुलिस सेवा के हेतु अध्ययन के प्रयोजनार्थ ए0पी0टी0सी0
 में विद्यार्थी भर्ती होने के लिये उत्तर प्रदेश शासन में श्री.....
 आत्मज..... निवासी.....को चुना है और
 उसने सरकार की सेवा को बरण किया है।

अतएव यह बन्ध पत्र दिनांक.....जो उक्त.....के निमित्त प्रतिभू.....
 प्रथम पक्ष तथा राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वितीय पक्ष के मध्य में निस्पादित हुआ
 है। इस बात का साक्षी है कि उक्त.....के उक्त कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के प्रतिफलस्वरूप उक्त.....
 इस बन्ध के दिनांक से उक्त कालेज में परिश्रम पूर्वक अध्ययन करते हुए तब तक रहेगी जब तक पुलिस
 महानिदेशक, उ0प्र0, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 या उक्त कालेज के प्रधानाचार्य
 उसे अपनी शिक्षा छोड़ने की अनुमति न प्रदान करें, और वह उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैंडेट) के लिये
 निर्धारित नियमों का सच्चे हृदय से पालन करेगा। उक्त.....का उक्त अवस्था कि उक्त.....
 विद्यार्थी(कैंडेट)।

- 1-उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा प्लाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करें।
- 2-प्रशिक्षण से त्याग पत्र दें।
- 3-दुर्घटना ग्रस्त होने पर उक्त परीक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
- 4-उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैंडेट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें अथवा इन नियमों के आधीन उक्त कालेज से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
- 5 प्रशिक्षण के परंप्रात 01 वर्ष के अन्दर ही नौकरी से त्याग पत्र दें।
- 6-साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किये जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
- 7-उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके चरित्र व पूर्व वृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या प्रथक किये जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैंडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये बचन बद्ध है:-

- 1-वह सब धनराशि जो साज सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जावें।
- 2-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जाय।
- 3-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हों।
- 4-और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि कैंडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव प्रमाण पत्र पर जो उक्त कैंडेट पर बाध्य कर एव अन्तिम हांगा माल गुजारी की भौति वसूल हांगा।

साक्षी

1-

2-

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

स्थान.....

प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी (कैडेट) के हस्ताक्षर कराने के लिये अन्य पत्र

ने आत्मज को
 जिला का निवासी हूँ। स्थिति ए0पी0टो0सी0 में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये वर्ष
 न चुना गया हूँ। (जिस आग कैडेट कहा गया है)

उक्त कैडेट राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के साथ प्रसंविदा करता है कि उक्त कालेज में प्रशिक्षण प्राप्त करते समय उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा समय-समय पर जो भी साज-सज्जा उसे मिलेगी और जिसके निमित्त वह कोई धनराशि न दे, और जिसके मूल्य के सम्बन्ध में उसे यथासमय सूचना दी जाय, उसका वह उस अवस्था में जबकि वह सफल हो जाये और किसी जिले में नियुक्त हो जाये सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान 12 मासिक किश्तों में कर देगा और इनके निमित्त वह एकाउन्टेन्ट को एतद्वारा प्राधिकृत करता है कि वह इस धनराशि को उसके उस वेतन से काट लिया जाए वह जिस जिले में सेवा प्रारम्भ करे।

उक्त कैडेट को त्याग पत्र देने, अध्ययन बन्द कर देने या पदच्युत किए जाने पर यह विकल्प होगा कि वह या तो उन वस्तुओं और अन्य वस्तुओं को जिन्हें उक्त प्रधानाचार्य ने उसे कालेज में प्रवेश करने के समय दिये हैं अथवा जो बाद में कालेज स्टोर से मिलें हों अपने पास रखें या वह उन्हें ऐसे मूल्य पर, जिसे उक्त प्रधानाचार्य निश्चित करें, प्रधानाचार्य के हाथ बेच सकता है।

उक्त कैडेट राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश से यह भी प्रसंविदा करता है कि यदि वह:-

- 1-उक्त प्रशिक्षण में असफल रहे अथवा कि एलाटून कमाण्डर की परीक्षा पास न करे।
- 2-प्रशिक्षण से त्याग पत्र दे दें।
- 3-दुर्घटनाग्रस्त होने पर उक्त प्रशिक्षण अथवा सेवा से हटा दिया जाय।
- 4-प्रशिक्षण काल में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0 अथवा उक्त कालेज के प्रधानाचार्य की बिना पूर्व अनुमति के उक्त कालेज छोड़कर चला जाए या शिक्षा बन्द कर दे।
- 5-उक्त कालेज से सम्बन्धित विद्यार्थियों (कैडेट) के लिये निर्धारित नियमों का पालन न करें, अथवा इन नियमों के अधीन उक्त कालेज से बहिष्कृत अथवा पृथक किया जाय।
- 6-प्रशिक्षण के पश्चात एक वर्ष के अन्दर ही नोकरी से त्याग पत्र दे दें।
- 7-साज सज्जा की पूर्ण धनराशि वसूल किए जाने के पूर्व वह त्याग पत्र दे दें।
- 8-उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा उनके वरिष्ठ व पूर्ववृत्त के सन्तोषजनक न पाये जाने पर कालेज से बहिष्कृत या पृथक किया जाय तो ऊपर लिखित किसी भी दशा में उक्त कैडेट उत्तर प्रदेश शासन को निम्नलिखित के अनुसार धनराशि देने के लिये बचनबद्ध है:-

- 1-वह सब धनराशि जो साज-सज्जा वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में उससे देय पायी जाय।
- 2-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसे वृत्ति (स्टाईपेण्ड) के रूप में दी जावे।
- 3-वह सब धनराशि जो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यय की हो और उत्तर प्रदेश शासन को अधिकार होगा कि उक्त धनराशि उक्त कैडेट अथवा उसके प्रतिभू से उत्तर प्रदेश शासन के प्रयासकीय विभाग के सचिव के पमाण-पत्र पर जो उक्त कैडेट पर बाध्य कर एवं अन्तिम होगा। मालगुजारी की माँति वसूल होगा।

साक्षी

1-

2-

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

स्थान.....

शपथ पत्र का प्रारूप

नाम उम्र लगभग वर्ष पुत्र श्री निवासी:
 ग्राम/मुहल्ला/मकान सं० डाकघर विकास खण्ड
 थाना तहसील जिला (पिन कोड)
 का शपथ पत्र।

मैं उपर्युक्त अभिसाक्षी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि:-

मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति हेतु जिला से एक अभ्यर्थी हूँ तथा मेरा अनुक्रमांक है। मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा/मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है और न ही वर्तमान में कोई आपराधिक मुकदमा/मामला प्रचलित/लम्बित है और न ही कोई पुलिस विवेचना (Investigation) लम्बित/प्रचलित है।

यदि भविष्य में उपरोक्त उल्लिखित तथ्य कभी भी गलत पाये जाये तो मुझे प्लाटून कमाण्डर पीएसी के प्रशिक्षण/सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाय।

शपथकर्ता का निशान अंगूठा

शपथकर्ता

मैं उपर्युक्त अभिसाक्षी, शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि उल्लिखित तथ्य मेरी व्यक्तिगत जानकारी तथा विश्वास में सत्य हैं। उल्लिखित तथ्य सूचनाओं पर आधारित हैं तथा जिन्हें मैं विश्वास करता हूँ कि वह भी सत्य है इसका कोई अंश असत्य अथवा झूठा नहीं है तथा कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी रक्षा करें।

अभिसाक्षी

आज दिनांक को पूर्वान्ह/अपरान्ह में सिविल कोर्ट जिला प्राणय में अभिसाक्षी द्वारा सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी / शपथकर्ता